इसलिए, रिट याचिका इस संक्षिप्त आधार पर खारिज की जा सकती है। अन्यथा भी, मंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2008 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 451, जो आई. डी. 1 पर निर्णय लिया गया) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अब यह विचार लिया है कि कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण शिक्षकों के पीठ पर नियुक्ति के लिए बी. ए. बी. एस. सी. या बी. एड. की उच्च योग्यता कोई बाधा नहीं है (सी. एफ.सोम दत्त बनाम पंजाब राज्य, 1983 (3) एस. एल. आर. 141) के मामले में पूर्ण पीठ का निर्णय। यह उल्लेख करना भी उचित है कि दिनांक 28.2.2003 की अधिसूचना के माध्यम से, 'नियमों' में संशोधन किया गया है और परिशिष्ट 'बी' से ध्यान दें (ii) को हटा दिया गया है।

(11) ऊपर वर्णित सभी कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

पी. एस. बाजवा

के. कन्नन , जे.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़,-अपीलार्थी

बनाम

प्रार्थना सेठ और अन्य, के उत्तरदाता

एफ. ए. ओ. No.3086-2011

20 अप्रैल, 2011

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-S.166 और 149-बीमा कंपनी का बीमा पॉलिसी की शर्तों के भंग का बचाव-ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता-सामान्य परीक्षण-क्या स्वयं बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी की शर्तों का कोई भंग या भंग हुआ है-मालिक (बीमित) सामग्री का बोनाफाइड्स-उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता पर संदेह

करने का कोई कारण होना चाहिए-इस विश्वास के प्रामाणिक होने के बारे में सबूत थे कि लाइसेंस वास्तविक था-बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी गई।

यह भी कहा गया कि ऐसे अवसर भी थे जब पुलिस द्वारा कई नाकाओं पर लाइसेंस की जांच की गई थी और इसलिए, निष्कर्ष यह था कि किसी को भी लाइसेंस की वास्तविकता पर संदेह नहीं था। जब हम किसी बीमाकर्ता को पॉलिसी की शर्तों के भंग का बचाव करने की अनुमति देते हैं, तो हम आम तौर पर इसका परीक्षण इस बात के आलोक में करते हैं कि क्या स्वयं बीमाकृत द्वारा पॉलिसी की शर्तों का भंग किया गया था। यह मालिक की ईमानदारी है जो है

सामग्री और उसके पास इसकी वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण होना चाहिए। बीमाकर्ता के खिलाफ मामला अभी भी इस तथ्य के लिए चलाया जाना बाकी है कि मालिक के पास इस विश्वास का प्रमाण था कि ड्राइविंग लाइसेंस वास्तविक था। पुरस्कार की पुष्टि हो जाती है और अपील खारिज कर दी जाती है।

(पैरा 4)

पॉल एस. सैनी, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

के. कन्नन जे. (ORAL)

(1) बीमा कंपनी द्वारा अपील इस तथ्य के बावजूद बीमाकर्ता पर डाली गई देयता के खिलाफ है कि बीमा कंपनी एक सत्यापन रिपोर्ट द्वारा से यह स्थापित करने में समर्थ थी कि ड्राइविंग लाइसेंस वास्तविक नहीं था। न्यायाधिकरण ने पाया कि सबूत का भार बीमाकर्ता पर था कि वह यह स्थापित करे कि लाइसेंस वास्तविक नहीं था और लाइसेंस प्राधिकरण के किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई थी।

(2) अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील का कहना है कि बीमा कंपनी के पास लाइसेंस प्राधिकरण से गवाह की जांच करने का कोई पर्याप्त अवसर नहीं था क्योंकि दस्तावेज़ स्वयं न्यायाधिकरण के समक्ष केवल अंतिम सुनवाई की तारीख को 05.10.2010 पर दायर किया गया था और दस्तावेज़ पेश किए जाने के तुरंत बाद, वे लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा से सत्यापन रिपोर्ट को सुरक्षित करने में समर्थ थे और इसलिए, न्यायाधिकरण का तर्क उचित नहीं था।

(3) भले ही बीमा कंपनी के इस तर्क को स्वीकार किया जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस वास्तव में एक नकली था और इसे इस तथ्य से कवर किया जा सकता है कि चालक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था कि वह किसी भी समय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नागालैंड नहीं गया था और इसे एक एजेंट द्वारा से सुरक्षित किया गया था, मुझे यह बीमा कंपनी को यह तर्क

देने का अधिकार नहीं मिलेगा कि बीमित व्यक्ति क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है। मालिक की स्वयं आर. डब्ल्यू.-1 के रूप में जांच की गई और उसने प्रतिपरीक्षा में इस प्रकार कहाः-

"बीमा पॉलिसी Ex.R4 के माध्यम से मेरे वाहन का बीमा किया गया है।ड्राइवर बिजेंद्र सिंह को नियुक्त करते समय, मैंने उनके ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच की, यह भारी माल वाहन के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।वह 2004 से मेरे साथ काम कर रहे थे जब मैंने यह ट्रक खरीदा था।कई बार मैंने उनके साथ यात्रा की।यातायात पुलिस द्वारा कई नाको पर उनके लाइसेंस की जाँच की गई।"

(4) उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने साथ यात्रा की थी और ऐसे भी अवसर थे जब पुलिस द्वारा कई नाकाओं पर लाइसेंस की जांच की गई थी और इसलिए, निष्कर्ष यह था कि किसी को भी लाइसेंस की वास्तविकता पर संदेह नहीं था। जब हम किसी बीमाकर्ता को पॉलिसी की शर्तों के भंग का बचाव करने की अनुमति देते हैं, तो हम आम तौर पर इसका परीक्षण इस बात के आलोक में करते हैं कि क्या स्वयं बीमाकृत द्वारा पॉलिसी की शर्तों का भंग किया गया था। यह मालिक की ईमानदारी है जो भौतिक है और उसके पास इसकी वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण होना चाहिए। बीमाकर्ता के खिलाफ मामला अभी भी इस तथ्य के लिए चलाया जाना बाकी है कि मालिक के पास इस विश्वास का प्रमाण था कि ड्राइविंग लाइसेंस वास्तविक था।

(5) पुरस्कार की पुष्टि हो जाती है और अपील खारिज कर दी जाती है। अपील करने के समय इस न्यायालय के समक्ष जमा की गई कुल आई. डी. 1,000/- की राशि को निर्णय की आंशिक संतुष्टि के लिए न्यायाधिकरण को प्रेषित करने का आदेश दिया जाता है।

वी. सूरी

के. कन्नन, जे.

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड, इसके क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा से, एससीओ NO.109-11, सेक्टर 17-डी, चंडीगढ़,-अपीलार्थी

बनाम

राजेंद्र कौर और अन्य,उत्तरदाता

एफ. ए. ओ. सं. 3091-2011

20 अप्रैल, 2011

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 166 और 163-ए-मृत्यु मामला-एक युवा कुंवारे के मामले में गुणक-न्यायिक घोषणाएं और अनुसूची II के तहत वैधानिक रूप से जो प्रदान किया गया है उसका मिलान-17 का गुणक लागू-गुणक मृतक की उम्र से संबंधित हो सकता है और जरूरी नहीं कि इसे केवल माता-पिता की उम्र तक ही सीमित किया जाए-अपील खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां कहीं भी दावा <आई. डी. 1,000/- से अधिक है और अनुसूची II के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के पैमाने को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है, न्यायाधिकरण सरला वर्मा के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से 50 प्रतिशत की कटौती करेगा और माता-पिता में से छोटे की उम्र के लिए उपयुक्त गुणक भी लागू करेगा।न्यायिक घोषणाओं द्वारा से जो सामने आया है, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

gurvinder kaur